

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं प. राज. (प्रा. शि.) राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-प्रारं/नियु-प्रको/नियु-2/982/शि.प.18/ले-1/अनु./सा.शि./2018

दिनांक : 11 MAR 2020

--: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों पर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंको में छूट दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 4907/2019 व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22-07-2019 के क्रम में सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 02/2018 दिनांक 12-04-2018 के क्रम में संयुक्त विधि परामर्शी के पत्रांक प. 18(110)प्राशि/वि.प्र./18 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18-09-2019 के द्वारा माननीय खण्डपीठ के निर्णय के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा माननीय न्यायालय की पालना में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑफ लाईन आवेदन प्राप्त किये गये तथा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 277(क) के प्रावधान अनुसार दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों का चयन कर निम्नानुसार जिले आवंटित किये जाते हैं :-

Sr No	Merit No	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	SELECTION CATEGORY			Allotted distcd
								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2026-A	201820201025	RAMESH DANGI	MEGH RAJ DANGI	11/05/1998	M	GEN	GEN	M	BL	UDAIPUR
2	2122-A	201820201068	RAJESH NAYAK	HAKRA NAYAK	06/01/1994	M	GEN	GEN	M	BL	BANSWARA
3	3955-A	201820201054	MUKESH BUNKER	VALAJI BUNKER	08/07/1995	M	SC	SC	M	BL	DUNGARPUR
4	4184-A	201820201069	PREMJI JAIN	YOGESH JAIN	18/03/1998	F	GEN	GEN	F	BL	BANSWARA
5	4190-A	201820201090	SONAL RATHORE	PRADAP SING RATHORE	06/01/1997	F	GEN	GEN	F	BL	DUNGARPUR


(सौरभ शर्मा)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-प्रारं/नियु-प्रको/नियु-2/982/शि.प.18/ले-1/अनु./सा.शि./2018

दिनांक : 11 MAR 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 4 संयुक्त विधि परामर्शी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, जयपुर
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला परिषद्
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि), जयपुर
- 7 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय), संबंधित
- 8 संबंधित अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ।
- 9 रक्षित पत्रावली


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)

राजस्थान बीकानेर